



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in



File no- - CHG/BAL/LST/38MPR28007

दिनांक -21/10/2021

प्रेषिति- श्री राजु जोशी, खान प्रबंधक,
रावन चुना पत्थर खान, मेसेर्स अम्बुजा सिमेंट लि.
ग्राम- रावन, तहसील- सिगमा
जिला- बलोदा बाज़ार- भाटापाडा, छ.ग. 493332
Email- rajoo.joshi@ambujacement.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपकी रावन चुना पत्थर खान 420.953 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18/10/2021 को अधोहस्तक्षरी द्वारा आपकी उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
13(2)	The benches in overburden have not been kept sufficiently in advance and their workings are interfering with the working of Limestone benches at some places in mine.
14(4)	Waste overburden material is backfilled within working pit at central part of south block pit near approach haul road, without excavating complete Limestone mineral from the place (at Grid 614000/2396300). Backfilling without complete extraction of limestone should not be carried out
46	when any new appointment of an agent, mining engineer, geologist or any person is made under sub-rule (1) of rule 55; or (b) when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment, notice in form H within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving shall be submitted to Regional Controller of Mines, IBM as the case may be. Notice of appointment of Agent, Manger of mine have not been submitted to Regional Controller of Mines, IBM Raipur.
55	For the purpose of carrying out mining operations in accordance with MCDR 2017 rules a whole time Geologist has not been employed in the mines.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) (क) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बी.एल.गुर्जर)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु by email

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- 2 संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो